

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी. एन. एस. एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
4731 सन् 2026

रोहित उर्फ प्रशांत कुमार

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 1 अन्य

विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : ललिता साहू, सोनू कुमार तिवारी

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथपत्र को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई।
3. आवेदक ने बी.एन.एस. की धारा 191(2), 126(2), 351(3), 110, 115(2), 352 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 77 सन् 2026 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए धारा 482 बी.एन.एस. के तहत वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन पुलिस स्टेशन- बन्ना देवी, जिला- अलीगढ़ में दायर की है
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी अभियुक्तों को केवल एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि घायल ललित को शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण अंग पर कोई गंभीर चोट नहीं आई है। यदि कोई गंभीर चोट है भी, तो वह शरीर के एक अमहत्वपूर्ण अंग, अर्थात् टखने के जोड़ तक ही सीमित है, जहां फिबुला हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सह-अभियुक्त सौरभ को संबंधित सत्र न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। हालांकि, आवेदक की अग्रिम जमानत आवेदन को सत्र न्यायालय ने उसके आपराधिक इतिहास के कारण खारिज कर दिया है। उक्त आपराधिक इतिहास का आज दायर किए गए पूरक हलफनामे के पैरा 5 में विधिवत स्पष्टीकरण दिया गया है। चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए आवेदक भी अग्रिम जमानत का हकदार है।
5. हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. अग्रिम जमानत की सीमा माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्ट की गयी है, अर्थात् गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565, सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 और सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1 में, यह सर्वसम्मति रूप से कहा गया है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका का मूल्यांकन करना चाहिए, साथ ही आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, झूठा या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना और मुकदमे में अभियुक्त के सहयोग की इच्छा, अभियुक्त का आचरण और भागने का जोखिम जैसे कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस न्यायालय ने सभी तथ्यों और आरोप की गंभीरता, मामले में गिरफ्तारी की आशंका, भागने के कम जोखिम और विवेचना एवं मुकदमे में सहयोग करने के संबंध में अभियुक्त द्वारा दिए गए आश्वासन पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक ने अग्रिम जमानत का मामला सिद्ध किया है।

8. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदक - रोहित उर्फ प्रशांत कुमार इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए ₹ 25,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवसरों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय किये जाने तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन दर्ज किये जाने की तिथियों पर।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर राय के रूप में नहीं माना

जाएगा। विचारण न्यायलय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

16 जून, 2026

अभिषेक

(तरुण सक्सेना, न्यायमूर्ति)